न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 82/15 **निर्णय दिनांकः 30.04.2019**

1. नवलाराम पुत्र तुलछाराम जाति नायक निवासी हाथुसर तहसील लूणकरनसर हाल आबाद चक 8 पीकेडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, छत्तरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30—06—2015
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः—

1. श्री मेघाराम गोदारा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के निर्णय व डिक्री दिनांक 30—06—2015 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को ग्राम राणीसर तहसील पूगल के खसरा नम्बर 47 में 25 बीघा बारानी सहायक आयुक्त उपनिवेशन द्वारा दिनांक 22—12—1988 को आवंटित की गई थी तथा मौके पर कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। उक्त भूमि चकबन्दी

होने पर चक 14 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 24/32 पैमूद हुए। बाद में 14 डीकेडी के मोघे से पानी लगने के कारण उक्त रकबा पीकेडी नहर में जोड़ दिया गया जोकि वर्तमान में चक 6 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 24/32 के किला नम्बर 1 ता 25 में कमाण्ड/अनकमाण्ड है। अपीलांट् द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त भी राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया। जिसकों बिना किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया अपनाये वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि वादगस्त् भूमि ग्राम राणीसर के खसरा नम्बर 45 में 25 बीघा बारानी भूमि का आवंटन दिनांक 22—12—1988 को किया गया था, दौराने चकबन्दी वादग्रस्त भूमि चक 14 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 24/32 के रूप में पैमूद हुई तथा कालान्तर में 14 डीकेडी के मोघे से पानी लगने के कारण उक्त रकबा पीकेडी नहर में जोड़ दिया गया जोकि वर्तमान में चक 6 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 24/32 के किला नम्बर 1 ता 25 में कमाण्ड/अनकमाण्ड है। जिस पर आवंटन की दिनांक से आज दिनांक तक कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। जिसकी धोषणा करवाने का दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसका आगे की गिरदावरियों में अंकन नहीं हुआ है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु कई बार निवेदन किया जाता रहा है परन्तु राजस्व अमला द्वारा अपीलांट के आवंटन का राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का अंकन नहीं किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट आवंटित भूमि को सक्षम धोषित कराने का वादीगण ने दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। जो दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का दावा

खारिज करने में कानूनी भूल कारित की है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में यह अभिलिखित किया गया है कि आवंटित भूमि का चरणबद्व व समयबद्व तरीके से सक्षम संबंधित कार्यालय से अंकन नहीं कराने की स्थिति में आवंटन स्वतः ही निरस्त व निष्प्रभावी हो जाता है। खसरा गिरदावरी संवत् 2032—35 वर्ष 1975—78 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि वन विभाग के अंकन हुई है। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या प्रकरण की वस्तुस्थिति के मद्देनजर गलत व्याख्या की गई है क्योंकि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि थी जिसकी धोषणा हेतु धोषणात्मक वाद लाया जा सकता है। जिसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान निहित है तथा जिसके लिए कोई मियांद बाधक नहीं है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट के नाम आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि रही है।

अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना व बिना विस्तृत विवेचन किये ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा इस महत्पवपूर्ण बिन्दु पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में ना तो तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य लिये गये। अदालत मातहत द्वारा कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तमाम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जिनके आधार पर अपीलांट वादगस्त् भूमि चक 14 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 24/32, जिसके वर्तमान चक 6—8 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 24/32 के किला नम्बर 1 ता 25 कायम हुए की धोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त करते हुए अपीलांट को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि अपीलांट को दिनांक 22—12—1988 को आवंटन थी। अपीलांट द्वारा लगभग 26 वर्षो तक सक्षम न्यायालय से राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं करवाया गया है। ऐसी स्थिति में आवंटन स्वतः ही

निष्प्रभावी व निरस्त हो जाता है। चूंकि वादगत् भूमि मौके पर वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि होने के कारण व कब्जे काश्त के अभाव में अपीलांट का दावा खारिज किया गया है। जो सही है। अतः अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट को दिनांक 22—12—1988 को आवंटित की गई थी जिस पर आवंटन की दिनांक से आज दिनांक तक कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। जिसकी धोषणा करवाने का दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वादगत् भूमि अपीलांट/वादीगण के कब्जे काश्त में निरन्तर चली आ रही है। चूंकि उक्त भूमि वादीगण/अपीलांट को वर्ष 1988 से आवंटन थी तथा मौके पर आज भी अपीलांट का कब्जा काश्त है जिसकी धोषणा करवाने का अपीलांट/वादीगण कानूनन अधिकारी है।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व निर्णय का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में स्टेट का जवाब प्राप्त किया गया। स्टेट के जवाब में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि वादगत् भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु अपीलांट द्वारा विधि सम्मत व समयबद्व, चरणबद्व तरीके से प्रस्तुत नहीं किया है ना ही सेल रजिस्टर में खाता संधारित है। खसरा गिरदावरी संवत् 2032—35 वर्ष 1975—78 अनुसार उक्त मुरब्बों में वन विभाग का अंकन है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है।

प्रकरण में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त रहा हो। प्रकरण में यह तथ्य तो निर्विवाद है कि वादगत् भूमि

अपीलांट को दिनांक 22—12—1988 को आवंटित थी। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को उक्त आदेश के विरूद्व अपीलांट/वादीगण द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई। अपीलांट/वादीगण यदि वादगत् भूमि पर अपने हक व हकूक मानते है तो उन्हें उक्त आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत करते हुए चाराजोई करनी चाहिए थी। अपीलांट/वादीगण द्वारा वादगत् भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित किये जाने के विरूद्व कोई अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/वादीगण का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि दिनांक 22—12—1988 को आवंटन होने के कारण खातेदारी हकों की धोषणा करवाने के अधिकारी है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथाखसरा गिरदावरी, जमाबन्दी, वादगत् भूमि की मौका रिपोर्ट आदि ना तो अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये है व ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये गये है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर आज दिनांक को उनका कोई कब्जा काश्त हो व अपीलांट/वादीगण के अभिकथनों को कोई बल प्राप्त होता हो।

अपीलांट द्वारा आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है, मात्र फोटो प्रति वह भी सुपाठ्य नहीं है तथा आदेश पर क्रमांक अंकित नहीं है। इस प्रकार कथित आवंटनआदेश की पालना में कब्जा लेने तथा किश्तें जमा करवाने का कोई सबूत नहीं है। ऐसे संदेहास्पद दस्तावेज के आधार पर वाद की नियमित सुनवाई की जानी आवश्यक नहीं है। कॉज ऑफ एक्शन नहीं होने के कारण वाद चलने योग्य नहीं था। अपीलांट केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर वादगस्त् भूमि की धोषणा करवाने के अधिकारी नहीं माने जा सकता।

अपीलांट अपने कथनों, राजस्व रिकार्ड, सबूतों व गवाहन के माध्यम से वादगत् भूमि के बाबत् अपने अधिकारों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश पूर्णतया न्यायसंगत व तर्कसंगत आदेश है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30—06—2015 उपखण्ड अधिकारी, पूगल बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 30.04.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर